संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : यश–शील ग्रामोत्थान सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : यशवन्त नगर, ग्रा0 व पो0–कुरावन, तह0–मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 10001/–नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 501/– वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति : सदस्यता की समाप्ति के आधार निम्नवत होंगे :–
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
   4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
   6. लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।
   7. त्याग–पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

सत्य प्रतिलिपि

6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति
7. साधारण सभा

गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार होगी तथा विशेष परिस्थतियों मे आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दिया जायेगा।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या मे से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो की अनुमति से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक रिर्पोट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. नियमों में परिवर्तन एव संशोधन साधारण सभा द्वारा 2/3 सदस्यों की बहुमत से किया जायेगा।

Principal
R.D. Memorial Institute of Medical Sciences
Yashwant Nagar, Kurawan, Milkipur, Ayodhya

प्रबन्धक
यश–शील ग्रामोत्थान सेवा संस्थान
यशवन्त नगर–कुरावन, फैजाबाद

8. **प्रबन्धकारिणी समिति :–**

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, सचिव एक, कोषाध्यक्ष एक तथा सदस्य 02 होंगे। इस प्रकार कुल सख्या 07 होगी।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष मे तीन बार और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यो को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एव विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित ऐजेण्डे से दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :–

1. संस्था के उन्नति एवं प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक बजट कार्य योजना तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायो, दानशील व्यक्तियो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयो, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हल्पेज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय उ0प्र0, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्प संख्यक विभाग/बोर्ड उ0प्र0, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछडा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण संस्थाओ, सासद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्त्रोतो से ऋण, दान अनुदान एव वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
5. संस्था की शाखाओ एवं उच्च समितियों का गठन करना तथा उन पर नियत्रण रखना।
6. संस्था के लिए चल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।
7. प्रबन्धकारिणी समिति मे किसी कारण वश अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने की स्थिति मे अध्यक्ष के ही परिवार के किसी सुयोग्य व्यक्ति को साधारण सभा के बहुमत द्वारा चयनित किया जायेगा।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

दिनेश सिंह
Amit Kumar Singh
सत्य प्रतिलिपि

Pawan
Principal
R.D. Memorial Institute of Medical Sciences
Yashwant Nagar Kurawan, Milkipur, Ayodhya

प्रबन्धक
ग्रामोत्थान सेवा संस्थान
यश-शील नगर-कुरावन, फैजाबाद

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–**

अध्यक्ष :
1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
5. संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना तथा उनके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का मुख्य पदाधिकारी होना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रगति सम्बन्धी निर्णयों को क्रियान्वित करना।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
4. संतुष्टि की स्थिति में कर्मचारियों के विशेष अवकाशों की स्वीकृति करना।
5. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना तथा अभिलेखों एवं पत्र को सुरक्षित रखना।
6. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की देख रेख एवं सुरक्षा करना।
7. सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना।
8. समस्त बिल तथा वाउचर पर हस्ताक्षर करना।
9. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
10. संस्था के समस्त प्रपत्रो पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
11. बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियंत्रण करना।
12. आय व्यय का निरीक्षण करना।

सचिव :
1. संस्था की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करना।
2. सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर लिखना।
3. बैठको की कार्यवाही लिखना एव सुनाना।
4. बैठको की सूचना सदस्यो को लिखित रूप से देना।

कोषाध्यक्ष :
1. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा करना।
2. दान व चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना।
3. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलो का भुगतान करना।

10. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–**

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमो एव विनियमो मे परिवर्तन व परिवर्धन किया जायेगा।

11. **संस्था का कोष** : संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैक स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/सहकारी बैंक/शेड्यूल बैंक/पोस्ट आफिस मे संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन (आहरण) प्रबन्धक एव सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

Principal
R.D. Memorial Institute of Medical Sciences
Yashwant Nagar, Kurawan, Milkipur, Ayodhya

प्रबन्धक
यश-दीप ग्रामोत्थान सेवा संस्थान